ग्राम पंचायत राजपुरा, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2023 से 03/2024

भाग-एक

1 **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत राजपुरा, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2023 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमति उर्मिला देवी	01-04-2023 से 31-03-2024

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्रीमती परविन्द्रा कुमारी	01-04-2023 से 31-03-2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत राजपुरा, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2023 से 03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्र० सं०	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	5	बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर	1.05
2	6.1	विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान का अवरोधन।	7.16
3	7.1	पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया की वसूली न करने बारे	0.68
4	7.2	पंचायत राजस्व, दुकानों का किराया का वसूली हेतु शेष पाया जाना एवं दुकानों के आबंटन में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे	0.78
5	7.3	परिक्रमा निधि की वसूली न करने बारे	1.85
6	8.2	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना X-फॉर्म के क्रय करने से सरकार को रॉयल्टी के तौर के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि।	0.11
7	8.3	प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर की सम्भावित वित्तीय हानि बारे।	0.04
8	9.1	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे	0.13
9	9.2	सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे	0.03
10	9.3	सयुंक हस्ताक्षर के बिना ही अनियमित भुगतान करने बारे	0.25

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

ग्राम पंचायत राजपुरा, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि०प्र०) से सम्बन्धित गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अंकेक्षण अधियाचना

संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/14 दिनांक 18.05.2024 द्वारा अवगत करवाया गया । जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं इससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख पंचायत में उपलब्ध नहीं है एवं गत इस तरह अंकेक्षण के पैरों पर कोई भी कार्यवाही न करना न केवल नियमों के प्रतिकूल है, अपितु इससे अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है। अत: उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है। विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन को उचित स्त्रोत से प्राप्त करने उपरान्त इसमें शामिल पैरों पर शीघ्र ही कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये। पंचायत के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन को मुख्यालय से प्राप्त करने व वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2019 से 03/2021 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	3	अनिर्णीत	-
2.	4	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
3.	5	अनिर्णीत	-
4.	6	अनिर्णीत	-
5.	7	अनिर्णीत	-
6.	8	अनिर्णीत	-
7.	9	अनिर्णीत	-
8.	10	अनिर्णीत	-
9.	11	अनिर्णीत	-
10.	12	अनिर्णीत	-
11.	13	अनिर्णीत	-
12.	14	अनिर्णीत	-
13.	15	अनिर्णीत	-
14.	16	अनिर्णीत	-
15.	17	अनिर्णीत	-
16.	18	अनिर्णीत	-

17.	19(क)(ख) (ग)	अनिर्णीत	-
18.	20	अनिर्णीत	-
19.	21	अनिर्णीत	-

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2022 से 03/2023 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	3	अनिर्णीत	-
2.	4	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
3.	5	अनिर्णीत	-
4.	6.1	अनिर्णीत	-
5.	6.2	अनिर्णीत	-
6.	7.1	अनिर्णीत	-
7.	7.2	अनिर्णीत	-
8.	7.3	अनिर्णीत	-
9.	8.1	अनिर्णीत	-
10.	8.2	अनिर्णीत	-
11.	8.3	अनिर्णीत	-
12.	9.1	अनिर्णीत	-
13.	9.2	अनिर्णीत	-
14.	9.3	अनिर्णीत	-
15.	9.4	अनिर्णीत	-
16.	9.5	अनिर्णीत	-
17.	10.1	अनिर्णीत	-
18.	10.2	अनिर्णीत	-
19.	10.3	अनिर्णीत	-
20	10.4	अनिर्णीत	-
21	11	अनिर्णीत	-

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत राजपुरा, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2023 से 03/2024 के लेखों का वर्तमान श्री राकेश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा 13-6-23 से

19-6-23 तक ग्राम पंचायत राजपुरा के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2023-24	03/2024	03/2024

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत राजपुरा, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2023 से 03/2024 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹2400/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 (हि०प्र०) को शीघ्रअतिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या-SAD/CBA/2024-25/GP RAJPURA/12 दिनांक 19-06-24 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत राजपुरा से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत राजपुरा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2023 से 03/2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4 (अ) स्व:-स्त्रोतों व अनुदान

ग्राम पंचायत राजपुरा के अवधि 04/2023 से 03/2024 तक स्व:-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है।

1. स्वः-स्त्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2023-24	**273276**	**196289**	**469565**	**121413**	**348152**

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2023-24	**1278884**	**2232017**	**3510901**	**2794303**	**716598**

कुल योग **(1 + 2) = ₹716598+₹348152= ₹1064750**

(ब) ग्राम पंचायत राजपुरा, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि.प्र.)

दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

क्रम संख्या	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि **31-03-2023**
1.	SDP, VKVNY, ICDS SF, SRC, RF	17910117350	HPSCB CHAMBA	79731
2.	SF,SFC, RF	17910107024	HPSCB CHAMBA	558777
3.	15TH FC	50100312829086	HDFC CHAMBA	482279
4.	PMAGY	19710102763	HPSCB CHAMBA	7972
5.	WDF	19710101135	HPSCB CHAMBA	40322
			Cash in hand	1060
			कुल योग	**1170141**

अन्तर (ब-अ) **₹1064750 -₹1170141 = ₹-105391**

4.2 उपरोक्त वर्णित वित्तीय स्थिति के अनुसार रोकड़ बही व बैंक पासबुक में दिनांक 31-03-2024 को राशि ₹105391/- का अन्तर ग्राम पंचायत द्वारा मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण था। जिसका मिलान अतिशीघ्र किया जाये।

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹1.05 लाख का अन्तर :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि; ग्राम पंचायत राजपुरा द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹105391/- का अन्तर रोकड़ बही में कम शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11, दिनांक 19-06-2024 द्वारा पंचायत सचिव को स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि; " भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।"

अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान ₹7.16 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹**716598** की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने

के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बन्धित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करती है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-SAD/CBA/RK/2024-25/GP RAJPURA/05 दिनांक 19-06-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत राजपुरा के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि "भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा।"

अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के आदेशों की प्रति/पत्र अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध न करवाने बारे :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गए अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की प्रतियाँ अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि, पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान किस उद्देश्य /कार्य विशेष हेतु प्राप्त किये गए हैं।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 19-06-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत को अनुदान आदेशों की प्रति/पत्र प्राप्त नहीं हुए तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप से अनुदान के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अत: उक्त प्रकरण को विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.68 लाख की वसूली न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि,

समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को नियम 77(4) व फॉर्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत राजपुरा के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत वकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चूककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित **₹68310**/- की राशि वसूली हेतु शेष थी।

31-03-2024 को गृह कर बकाया राशि का विवरण

क्र० स०	वितीय वर्ष	अथशेष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर प्रति परिवार/	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष बकाया राशि
1.	2023-24	85770	320	50	16000	101770	33460	68310

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 334 दिनांक 06-09-2023 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उतर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 पंचायत राजस्व, दुकानों का किराया राशि ₹0.78 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना एवं दुकानों के आबंटन में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत का सचिव देखेगा कि समस्त राजस्व सही ढंग से व अविलम्ब तथा नियमित रूप से निर्धारित, वसूल व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में जमा करवाया गया है । इसके अतिरिक्त हि०प्र० पंचायती राज विभाग के कार्यालय आदेश संख्या पीसीएच-एचसी (7)10/30-3031-30436 दिनांक 07-09-2008 द्वारा ग्राम पंचायत के व्यावसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर देने हेतु निम्न कमेटी गठित की जानी आवश्यक है ताकि भविष्य में किसी प्रकार के किसी क़ानूनी विवाद से बचा जा सके एवं कोई वैधानिक कठिनाई न हो।

1) उपमंडलाधिकारी/तहसीलदार (अध्यक्ष)
2) खण्ड विकास अधिकारी (सदस्य)
3) प्रधान सम्बन्धित ग्राम पंचायत (सदस्य)
4) पंचायत निरीक्षक (सदस्य)
5) पंचायत सचिव/ सहायक (सदस्य)

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत सम्बन्धित किरायेदार के साथ अनुबंध करेगी एवं उसमें निम्न शर्तें भी निर्धारित करेगी:-

1) सम्बन्धित व्यवसायिक परिसरों/भवनों का किराया लोक निर्माण द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरों से कम न हो।

2) किराये में वृद्धि का प्रावधान **किराया नियंत्रण अधिनियम 1987** के अनुरूप रखा जाये।

3) यदि कोई किरायेदार किराया नहीं देता है अथवा परिसर को नुक्सान पहुंचाता है तो परिसर को 30 दिन की अवधि के अंदर खाली करने का प्रावधान रखा जाये।

4) किरायेदार को परिसर को किसी अन्य को किराये पर देने (Subletting) का अधिकार न हो।

5) किरायेदार परिसर में किसी भी उपयोग परिवर्तन/अतिक्रमण/निर्माण इत्यादि हेतु अधिकृत नहीं हो।

6) सम्बन्धित व्यवसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर देने से पूर्व पंचायत क्षेत्र में व्यापक प्रचार किया जाये तथा परिसरों/भवनों को खुली बोली से दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7) व्यवसायिक परिसरों/भवनों के पानी/बिजली बिलों की अदायगी किरायेदार द्वारा ही की जाये।

(क) ग्राम पंचायत राजपुरा के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा 07 दुकानें किराये पर दी थी। इनमें सभी दुकानों का किराया नियमित रूप से वसूल नहीं किया जा रहा था तथा दिनांक 31-03-2024 तक निम्नविवरणानुसार कुल राशि ₹78400 (जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "5"** में दिया गया है।) वसूली हेतु शेष है।

क्र० स०	**वित्तीय वर्ष**	**अथशेष**	**वार्षिक माँग**	**कुल योग**	**वर्ष के दौरान प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष बकाया राशि**
1.	**2023-24**	**156100**	**31500**	**187600**	**109200**	**78400**

(ख) किराये पर आबंटित दुकानों के सम्बन्ध में पाई गई विविध अनियमितिताओं बारे।

ग्राम पंचायत राजपुरा, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि०प्र०) की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त वर्णित सरकारी नियमों, आदेशों, अनुदेशों एवं शर्तों इत्यादि की अनुपालना नहीं की जा रही है एवं विविध अनियमिततायें की जा रही है।

1. किसी भी किरायेदार के साथ (दुकान) का अनुबंध नहीं किया गया है।
2. अधिकतर दुकानों का किराया नहीं वसूला जा रहा है।
3. काफी समय से कोई भी किराया बढ़ोतरी नहीं की गई है।
4. पंचायत की सम्पति को पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों अनुसार किराये पर देने हेतु किसी भी कमेठी का गठन नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 19-06-2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत राजपुरा को अवगत करवाया गया। तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सचिव, ग्राम पंचायत राजपुरा द्वारा सूचित किया कि " बकाया राशि की शीघ्र वसूली की जाएगी एवं पंचायत द्वारा किराये पर आबंटित दुकानों के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।"

उतर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी एवं विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के प्रति उदासीनता का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है एवं भविष्य में किसी वैधानिक कठिनाई का समाना करना पड़ सकता है। अतः दुकानों के किराये की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके एवं दुकानों के आबंटन में नियमानुसार कार्यवाही करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.3 परिक्रमा निधि की राशि ₹1.85 लाख की वसूली न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत राजपुरा को कार्यालय परियोजना निदेशक, जिला जलागम विकास अभिकरण चम्बा द्वारा पंचायतों के अंतर्गत कार्य कर रहे स्वंय सहायता समूह को विभिन गतिविधियों हेतु परिक्रमा राशि सहायता के तौर पर **परिशिष्ट "6"** अनुसार एक निश्चित उद्देश्य हेतु निश्चित समय के लिए प्रदान की गई थी तथा समयावधि के पूर्ण होने पर ग्राम पंचायत को उक्त राशि स्वयं सहायता समूह से वसूल कर उक्त कार्यालय को वापिस की जानी थी किन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त राशि को सम्बन्धित स्वयं सहायता समूह से वसूल न करके परियोजना निदेशक के कार्यालय को वापिस नही भेजी गई थी जोकि अनुचित प्रतीत होता है

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 19-06-2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत राजपुरा को अवगत करवाया गया। तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सचिव, ग्राम पंचायत राजपुरा द्वारा सूचित किया कि " उक्त परिक्रमा राशि की वसूली करके शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही अम्ल में लायी जाएगी।"

अतः निश्चित अवधि उपरान्त परिक्रमा राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके नियमानुसार कार्यवाही करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.4 विवाह पंजीकरण शुल्क व विलम्ब शुल्क की वसूली न करने के कारण राशि ₹1000/- की वित्तीय हानि:-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण का सामान्य श्रेणी हेतु पंजीकरण की धारा 8(1) के प्रावधानों के तहत ₹200 (30 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹25 (30 दिन के अंदर) तदोपरांत ₹400 (30 से 90 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹50 (30 से 90 दिन के अंदर) की वसूली की जानी अपेक्षित थी एवं वसूली गई फीस को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, **परिशिष्ट – 4** अनुसार उक्त पंचायत सचिव द्वारा वर्ष 2023-24 के विवाह पंजीकरण शुल्क की व विलम्ब शुल्क की वसूली नहीं की गई जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। पंचायत सचिव की लापरवाही के कारण सरकार को राशि ₹1000/- की वितीय हानि हुई। तथा विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है अपितु इसे बैंक के निधि खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-11 दिनांक 19-06-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर ली जाएगी।" अत: उपरोक्त राशि को सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की

दैनिक कार्यवाही जैसे कि, पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत राजपुरा के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा है जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 19-06-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का इन्द्राज राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका एप्लीकेशन में कर दिया जायेगा। कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना X–फॉर्म के क्रय करने से सरकार को रॉयल्टी के तौर पर राशि ₹0.11 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स (कन्सेशन) एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रान्सपोटेशन एन्ड स्टोरेज) नियमावली 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विकास/निर्माण कार्यों पर उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को खनन विभाग से अन्नापति प्रमाण पत्र X-फार्म प्राप्त कर सम्बन्धित पंचायत को देना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग चंबा के पत्र संख्या 902 दिनांक 18-02-2022 के अंतर्गत समस्त विकास खण्ड कार्यालयों को संशोधित मूल्य अनुसार रॉयल्टी काटने के आदेश जारी किये गए थे।

परन्तु ग्राम पंचायत राजपुरा, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा की अंकेक्षण अवधि 04/2023 से 03/2024 के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णत: अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से न तो कोई अन्नापति प्रमाण पत्र/X-फॉर्म लिया गया

और न ही रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती की गई । जिससे कि, सरकार को राशि **₹**11282/- (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "7"** में दिया गया है ।) की वित्तीय हानि हुई है । इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग के पत्र संख्या Ind-II(F)6-14/2014-Vol-1 दिनांक 10-02-2022 के अंतर्गत नियम 81A की प्रविष्टि के तहत खनन पट्टा धारक न होने की स्थिति में रॉयल्टी की राशि का 25% जुर्माना (9026 का 25%= 2256) अर्थात **₹**2256 का भुगतान करना होगा इस प्रकार सरकार को कुल राशि **₹**11282 (जुर्माने सहित यदि हो) की संभावित वित्तीय हानि हुई है ।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/GP RAJPURA/06 दिनांक 19-06-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया । जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, उक्त क्रय सामग्री हेतु रॉयल्टी की कटौती सम्बन्धित संविदाकारों से करके एवं उसे सरकारी कोष में जमा करवा कर कृत कार्यवाही से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं आगामी भविष्य में / X फॉर्म न होने की स्थिति में नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती की जायेगी एवं उसे समयबन्ध सरकारी कोष में भी जमा करवा दिया जायेगा ।

अत: उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव प्रतीत हो रहा है अपितु इस प्रकार से अवैध खनन से सरकारी आदेशों की भी स्पष्ट अवहेलना की जा रही है । यह एक गम्भीर अनियमितिता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है । अत: इस अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्यवाही/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये ।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.04 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे :-

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता का GST धारक होने पर वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु स्वीकृत की गई थी परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹102720/- का भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "7"** में दिया गया है ।) किसी प्रॉपर/कंप्यूटर जेनरेटड/टैक्स बिल पर न करके एक सादे कागज़ पर कर दिया गया है। जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹4891/- की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

इस गम्भीर अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 06 दिनांक 19.06.2024 के प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, GST कटौती बारे आपूर्तिकर्ताओं से स्पष्टीकरण लेकर यथाशीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर स्पष्ट एवं तर्कसंगत नहीं है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा गठित उप-क्रय समिति द्वारा कुटेशनों एवं क्रय के समय बिलों की उचित जांच पड़ताल नहीं की गई जिससे कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा रसीदों पर ही अनुचित तरीके से भुगतान प्राप्त किया गया जिससे कि सरकार को वस्तु एवं सेवा कर की वित्तीय हानि होने के साथ-साथ किया गया भुगतान भी संदिग्ध प्रतीत होता है जोकि एक अत्यंत गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में बिना टैक्स बिल के भुगतान करने का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के समबन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया । यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की जाये ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजानिक धन के दुरूपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णतः नकारा जा सके।

9.1 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹0.13 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें, कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा राशि **₹13813/-** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया। जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के सरकारी नियमों की अवहेलना भी की गई, तथा इसके अतिरिक्त उक्त भुगतान प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना किये गये जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID
1	Usha Electrical Vill Bhadram Bill No. 1117 Dated 17.04.23	SF	06/15.05.23	Electrical Goods	1648
2	Usha Electrical Vill Bhadram Bill No. 1119 Dated 01.05.23	SF	07/15.05.23	Electrical Goods	1648
3	Computer Solution Bill No. GST 2005 Dated 13.07.23	SF	24/11.09.23	Antivirous/Repair-of Computer	7316
4	VK Traders Bill No. 362 Dated 08.11.23	SF	33/17.11.23	Stationary	3201
				Total	13813

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 19-06-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव, ग्राम पंचायत राजपुरा के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही क्रय किया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है एवं बिना कुटेशन के क्रय करना संदिग्ध प्रतीत होता है यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है।

अत: इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई समस्त खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सम्बधित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.2 राशि ₹0.03 लाख के सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,परिदान के समय ,उसका यथास्थिति,परिक्षण, गणना,माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा। किसी एकल दिवस की प्रविष्टियों के अंत में यथास्थिति ग्राम पंचायत सचिव द्वारा स्टॉक (सामान) उचित स्थिति का प्रमाण पत्र दिया जायेगा। अधिशेष यदि कोई है; का विवरण और कोई कमी (यदि कोई है) लाल स्याही से उपदर्शित की जायेगी।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि ₹**3201**/-के स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया था किन्तु उक्त की स्टॉक प्रविष्टी नही की गई थी :

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID
1	VK Traders bill No. 362 dated 08.11.23	SF	33/17.11.23	Stationary	3201
				TOTAL	3201

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 08 दिनांक 19.06.2024 द्वारा, सचिव को अवगत करवाया गया। इस सम्बन्ध में सचिव के द्वारा कि भविष्य में उक्त अनियमितता को नहीं दोहराया जायेगा।

अत: नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार क्रय किये गए सामान के स्टॉक प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें एवं उक्त स्टॉक की प्रविष्टि करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.3 राशि ₹0.25 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)(2)** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी।

ग्राम पंचायत राजपुरा के लेखों की नमूना/चयनित माहों के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार कुल राशि **₹25328**/- का व्यय किया गया। जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमिततायें पाई गई :-

1. संकर्म समिति, सतकर्ता समिति के सदस्यों के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षर नहीं करवाये गए थे। जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न संकर्मों के निष्पादन हेतु उक्त दोनों समितियों का होना व हस्ताक्षर करना आवश्यक है। इसके बिना पंचायत स्तर के कार्यों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती।

2. बिना पे-ऑर्डर एवं प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान कर दिया गया था जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। जबकि उक्त नियमानुसार कोई भी संदाय/भुगतान इसमें वर्णित प्रावधानों के बिना नहीं हो सकता था।

Muster Roll No	CB Page No /Date	Amount	Discription Of Item	Head	Name of Work
8517	P/4/06.07.23	25328	Labour payment	15th FC	C/O pucca path with grillupper breta-1
	Total	**25328**			

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09 दिनांक 19.06.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, ग्राम पंचायत राजपुरा के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि "उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्यवाही से अवगत करवा दिया जायेगा।" अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण नियमानुसार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत राजपुरा के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। रोकड़ बहियों में न तो प्रगतिशील योग किये गए हैं और न ही अथशेष व अंतशेष दर्शाए गए है ओर न ही ऑनलाइन रोकड़ बहियों को अंकेक्षण

में उपलब्ध करवाया गया, जिससे कि पंचायत की वित्तीय स्थिति में अथशेष पंचायत द्वारा बनाई गई परीक्षा संतुलन सूची से लिए गए हैं जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनिधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-11, दिनांक 19-06-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि; भविष्य में रोकड़ बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़ बहियों को पंचायत अभिलेख में रख लिया जायेगा। अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्वः-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों जैसे 5th स्टेट, के साथ एक ही बैंक खाता एवं एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 19-06-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत राजपुरा द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्वः-स्त्रोत आय व्यय के लिए

पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। अतः इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)	अपूर्ण
5.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
6.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
7.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
8.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
9.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
10.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं
11.	मनरेगा रजिस्टर	16 से 22	10.3.1 से 3.9	अपूर्ण
12.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 11 दिनांक 19.06.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि "भविष्य में विहित रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा।" अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.4 पंचायत द्वारा ट्रायल बैलेंस ,बैलेंस शीट ,प्राप्ति एव भुगतान इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न अभिलेख जैसे ट्रायल बैलेंस ,बैलेंस शीट ,प्राप्ति एव भुगतान, अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नही किये गये जिस कारण इस विभाग के अंकेक्षण कोड में वर्णित पंचायत के उक्त अभिलेखों को प्रमाणित नही क्या जा सका।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11, दिनांक 19.06.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया कि, पंचायत उक्त अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। दिया गया उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नही होता है क्यूंकि उक्त अभिलेखों को वर्तमान में प्रस्तुत करना था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **नियम 73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत राजपुरा की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया है। जिसके बिना वॉउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-330 दिनांक 06-09-2023 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. निष्कर्ष :- उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्यवाही न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमितिताओं की पुनरावृत्ति की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजनिक धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना को नकारा जा सके।

02.9.24

02 SEP 2024

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

4370-4374

पृष्ठांकन संख्या:– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 90/2021 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत राजपुरा, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

02 SEP 2024

02.9.24

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

पी(1210C - 1 पैरा संख्या 4(अ) 1 का अनुपम न

Financial Position of Own Sources in r/o,			"GP RAJPURA "	Dev. Block CHAMBA	Distt Chamba H.P
Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2023-24	273276	196289	469565	121413	348152

सचिव
ग्राम पंचायत.......राजपुरा...
विकास खण्ड चम्बा (हि० प्र०)

परिशिष्ट-2 पैरा संख्या 4(अ) 2 के संदर्भ में

Grant in aid in r/o Gram Panchayat "RAJPURA"				Development Block	Chamba-171009
Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2023-24	1278884	2232017	3510901	2794303	716598

सचिव
ग्राम पंचायत......राजपुरा
विकास खण्ड चम्बा (हि० प्र०)

परिशिष्ट -3 पैरा संख्या 5 व 6.1 के संदर्भ में

Sr.no.	Grant in aid in R/o Particulars	Op.Balance	"GP RAJPURA" Receipt	Year 2023-24 Total	Distt Chamba HP-176318 Expenditure	Closing Balance
1	5th Sfc	70165	364554	434719	454829	-20110
2	15TH FC	862375	159769	1022144	550013	472131
3	MNREGA	0	1459000	1459000	1459000	0
4	PMAGY	7417	500	7917	0	7917
5	VKVNY	200268	0	200268	174926	25342
6	WDF	38659	1374	40033	0	40033
7	SDP	100000	82410	182410	149907	32503
8	MMAGY	0	4410	4410	0	4410
9	RF	0	135000	135000	0	135000
10	ICDS	0	25000	25000	5628	19372
	Total Rs.	1278884	2232017	3510901	2794303	716598

1	Cash Book Balance on 31.03.2024	(Own Source)			348152
2	Cash Book Balance on 31.03.2024	5th Sfc			-20110
3	Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC			472131
4	Cash Book Balance on 31.03.2024	MNREGA			0
5	Cash Book Balance on 31.03.2024	PMAGY			7917
6	Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY			25342
7	Cash Book Balance on 31.03.2024	WDF			40033
8	Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP			32503
9	Cash Book Balance on 31.03.2024	MMAGY			4410
10	Cash Book Balance on 31.03.2024	RF			135000
11	Cash Book Balance on 31.03.2024	ICDS			19372
			Total		1064750

	Balance as Per Bank on 31.03.24			
	A/c No	Branch	Head	Amount
1	17910117350	HPSCB CHAMBA	SDP , VKVNY ,ICDS	79731
2	17910107024	HPSCB CHAMBA	SF,SFC,RF	558777
3	50100312829086,	HDFC CHAMBA	15TH FC	482279
4	19710102763,	HPSCB CHAMBA	PMAGY	7972
5	19710101135,	HPSCB CHAMBA	WDF	40322
		Cash In Hand		1060
	Total			1170141
			Diffrence	-105391

Note :- 1.online cash book(e-gram swaraj) not produced in audit except 15th fc head.

2. Progressive Total Not Taken in Mannual Cash Book

सचिव
ग्राम पंचायत....राजपुरा....
विकास खण्ड चम्बा (हि० प्र०)

परिशिष्ट-5 पैरा संख्या 7.5 के संदर्भ में

कार्यालय ग्रांम पंचायत राजपुरा

विकास खण्ड चंबा जिला चंबा हि०-प्र

वर्ष 1-4-2023 से 31-3-2024 तक

विवाह की फ़ीस जिसे सरकारी कोष में जमा नही करवाया गया

क्र.सं	विवाह पंजीकरण संख्या	नाम व् पता	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	बसूल की गई राशि	सरकारी कोष में जमा नही की गई राशि
1	22	नागेश पुत्र श्री महेन्द्र कुमार	15/05/2023	15/06/2023	200	200
2	23	रवि कुमार पुत्र श्री धनी राम	12/07/2023	05/08/2023	200	200
3	24	रजत सिंह पुत्र श्री पवन सिंह	22/02/2023	06/10/2023	400	400
4	25	उमेश पुत्र श्री देश राज	27/10/2023	14/11/2023	200	200
				कुल	1000	1000

सचिव
ग्राम पंचायत...राजपुरा
विकास खण्ड चम्बा (हि० प्र०)

परिशिष्ट-5 पैरा संख्या 7-2 के संदर्भ में

दुकान किराया सूची ग्राम पंचायत राजपुरा अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024

क्रमांक	दूकानदार का नाम	1/4/2023 को गत बकाया	वर्ष की मांग	तीन मास का माफ़ मार्च ,अप्रैल मई	कुल वर्ष की मांग	1/4/2023 से 31/3/2024 तक वसूल योग्य राशि	1/4/2023 से 31/3/2024 तक वसूल की गयी राशि	बकाया 31/3/2024 तक
1	किशोर कुमार पुत्र श्री नंदलाल	11000	6000	1500	4500	15500	10000	5500
2	अनीता पत्नी श्री जैमल	18000	6000	1500	4500	22500	9500	13000
3	हरीश कुमार पुत्र श्री विजय कुमार	14600	6000	1500	4500	19100	10000	9100
4	नाज्फर शेख पत्नी श्री मु फारुख	7000	6000	1500	4500	11500	7500	4000
5	सत्यवती पत्नी श्री शिवदत्त	23900	6000	1500	4500	28400	27500	900
6	जितेन्द्र पुत्र श्री मनसा राम	30200	6000	1500	4500	34700	29700	5000
7	राकेश कुमार पुत्र श्री शक्तिप्रसाद	51400	6000	1500	4500	55900	15000	40900
	Total=	156100	42000	10500	31500	187600	109200	78400

सचिव
ग्राम पंचायत.........राजपुरा
विकास खण्ड चम्बा (हि.प्र.)

2	जोगिन्दर कुमार S/o लाल चन्द		SC	329014

उक्त परिवार के चयन के उपरान्त सर्व सम्मति से पारित करके श्रीमान जिला कल्याण अधिकारी चम्बा की सेवा में प्रेषित करने का विनिश्चय किया गया।

प्रस्ताव संख्या (15) :- मनरेगा के तहत श्री विजय कुमार के घर से वार्ड राजपुरा कार्य बावत निर्माण कार्य

गठन प्रस्ताव :- इस कार्य बावत प्रधान प्रभा कुमार, उर्मिला देवी, सुरेन्द्र कुमार पु० ओमचन्द, किशोर कुमार पु० नन्दलाल, विजय कुमार पु० माधोराम, राजू कुमार पु० हरीसिंह, उक्त कार्य को जुलाई माह में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

प्रस्ताव संख्या (16) :- बैठक में श्रीमान महाजन लाल मुकुललाल महाजन गाँव राजपुरा की सामग्री आपूर्ति हेतु कुर्सी प्रस्तुत हुई। साथ ही M.S. कार्यालय ग्रेड चम्बा बैठक में सर्वसम्मति से श्रीमान महाजन तथा M.S. समिति की कुर्सी सामग्री के लिए सर्वसम्मति से अनुमोदित/पारित की गई।

प्रस्ताव संख्या (17) :- बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि कोरोना महामारी लॉकडाउन के तहत उक्त दुकानों का किराया माफ किया जाए। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। समस्त दुकानदारों को तीन माह की छूट दी गई। तब से दी गई।

प्रधान व मन्त्र: Beeloo

सदस्यों के हस्ताक्षर: Lata Kumari, Lata Devi

सचिव
ग्राम पंचायत ....
विकास खण्ड चम्बा (हि० प्र०)

Pradhan Gram Panchayat Rajpura Block Chamba

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नकल पुरानी कार्यवाही रजिस्टर के पृष्ठ सं० 164 तथा ग्राम पंचायत की बैठक 9/6/2020 की प्रस्ताव संख्या 17 की छायाप्रति है। जिसमें कुल गणपूर्ति 9/9 रही थी।

सचिव
ग्राम पंचायत राजपुरा
विकास खण्ड चम्बा (हि० प्र०)

30

परिशिष्ट-6 पैरा संख्या 7.3 के संदर्भ में

IWMP XIII REVOLVING FUND REPORT GP RAJPURA

Sr No	Group Name	RF received from BDO Office	Date of Release by GP to SHG	Amount Released	Amount Received within Due Date	Amount Not Received After Due Date(Within 18 Month)	Amount Received within period 1/04/2023 to 31/03/2024	Balance
1	Lakshmi SHG Rajpura	25000	30/5/2022	25000	0		25000	0
2	Naveen SHG Rajpura	25000	1/12/2021	25000	0	25000		25000
3	SHILPA SHG RAJPURA	25000	4/2/2022	25000	0			125000
4	SHIVSHAKTI SHG FOLGAT	25000	19/1/2022	25000	0		25000	0
5	DHANESHWARI SHG FOLGAT	25000	19/1/2022	25000	0		25000	0
6	PUSHP SHG RAJPURA	25000	22/6/2022	25000	5000		10000	10000
7	RADHA SHG RAJPURA	25000	25/7/2022	25000	0		25000	0
8	KARNI SHG RAJPURA	25000	22/6/2022	25000	0		25000	0
9	HITESH SHG BRETA	25000	18/9/2021	25000	0	25000		25000
10	Nayeem SHG Rajpura	25000	Refunded to BDO Chamba 25000	0	0			0
11	Raseeda SHG Rajpura	25000	0	0	0			0
12	Ruksana SHG Rajpura	25000	0	0	0			0
13	Saain SHG Rajpura	25000	0	0	0			0
14	Lakhdata SHG Folgat	25000	0	0	0			0
15	SHILPA SHG RAJPURA			100000				
	Total=	350000	25000	325000	5000	50000	135000	185000

सचिव
ग्राम पंचायत......राजपुरा
विकास खण्ड चम्बा (हि० प्र०)

परिशिष्ट-7 पैरा संख्या 8.2 व 8.3 के संदर्भ में

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP RAJPURA D.B CHAMBA FROM WHICH ROYALITY & GST PAID BUT CHALLAN NOT PRODUCED IN AUDIT											
01-04-2023 TO 31-03-2024											
SR.	NAME OF VENDER/	GRANTS/	VOUCHER/Bill	NAME OF	QTY.	QTY.	RATE OF	ROYLITY	AMOUNT	TO BE PAID	GST NOT PAID /DEDUCTED
NO.	SUPPLIER	HEAD	DATE	MATERIAL	M3	TONNE	ROYALITY	NOT PAID	PAID		
1	Rajpura	15th fc	P/5 /06.07.23	SAND	2.41	3.90	80	312.0	3825.0	3642.9	182.1
				AGG	4.84	9.20	80	736.1	10260.0	9771.4	488.6
				STONE	9.30	20.93	80	1674.0	15810.0	15057.1	752.9
2	Rajpura	15th fc	P/26 /04.01.24	SAND	3.40	5.51	80	440.4	5400.0	5142.9	257.1
				AGG	2.83	5.38	80	430.5	6500.0	6190.5	309.5
				STONE	20	45	80	3600.0	36000.0	34285.7	1714.3
3	Rajpura	mnrega	04/07.08.23	SAND	7.50	12.16	80	972.6	11925.0	11357.1	567.9
				AGG	5.66	10.76	80	860.9	13000.0	12381.0	619.0
								9026.6	102720.0	97828.6	4891.4
	Total			TOTAL	25% PANALTY 9026*25%=2256			2256			
				TOTAL				11282.0			

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal
   Rate of Royalty is taken Rs 80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining
   Conversion Factor
2. **A. From Square Feet to Cubic Meter M3**
   · 35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M^3) — Common to all items Sand, Stone & Aggregate
3. **B. From Cubic Meter (M^3) to Tonne**
   One Cubic Meter (M^3) Sand — 1.62
   One Cubic Meter (M^3) Aggregate — 1.9
   One Cubic Meter (M^3) Stone — 2.24
4. All items Sand, Stone & Aggre. **average weight** are taken for conversion while cubic meter to tonne.
5. As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or not

32

सचिव
ग्राम पंचायत राजपुरा
विकास खण्ड चम्बा (हि० प्र०)